

# मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई, 2000 (श्रावण 3, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रत्नेश सांतोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (म.प्र.) का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 (दिनांक 1-7-98 से दिनांक 30-6-99 तक) पटल पर रखेंगे।

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर जिले के रेहली में सुनार नदी पर पुल के अभाव में हुई दुर्घटनाओं से अनेक मौतें होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री सुनील नायक, बृजमोहन अग्रवाल, नरेन्द्र बिरधरे, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के जतारा नगर व सिमरिया ग्राम में एक परिवार के व्यक्तियों द्वारा नागरिकों से मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री मंगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -  
(क) ग्राम तरीचरकला के कृषकों को विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने,  
(ख) ग्राम चुरारा में अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने; तथा  
(ग) ग्राम तरीचरकला में भू-भाटक राशि की वसूली स्थगित कराये जाने,

(2) श्री नित्यानिरंजन खम्परिया, सदस्य, जबलपुर जिले के सिहोरा नगर स्थित शासकीय इयाम सुन्दर अग्रवाल महाविद्यालय भवन एवं छात्रावास को शासनाधीन लिये जाने; एवं

(3) श्री रामप्रताप सिंह, सदस्य, सतना जिले में बरगी दायी तट नहर का कार्य प्रारम्भ कराये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाये प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित  
समय

### 5. शासकीय विधि विधेयक कार्य

2 घण्टे (1) श्री रत्नेश सांतोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि (शेष मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनो का संघ) संशोधन विधेयक, 2000 (क्रमांक 19 सन् 2000) पर विचार किया जाय) चर्चा का पुनर्ग्रहण,

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय,

1 घण्टा

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 20 सन् 2000) पर विचार किया जाय,

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय,

30 मि.

(3) श्री धनेन्द्र साहू, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 21 सन् 2000) पर विचार किया जाय,

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय,

### 6. नियम 138 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घण्टा  
30 मि.

प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री भूपेन्द्र सिंह, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री नरेन्द्र बिरधरे, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरोत्तम मिश्र, लाल सिंह, लवकेश सिंह, नारायण प्रसाद चंदेल, अमर अग्रवाल, मुन्ना सिंह, प्रभाकर सिंह तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

भोपाल :  
दिनांक : 24 जुलाई, 2000

के.पी. शिवारी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.